न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राम रतन सौंकरिया, RAS

अपील संख्या 111/2002

1 रघुवीर सिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी माण्कसास तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 सुवा पुत्री काल्या पत्नी रिछपाल जाति गुर्जर निवासी ढ़ाणी झाडू वाली तन पाटन तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

2 छोटी पुत्री काल्या पत्नी घासीराम जाति गुर्जर निवासी राणासर तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

3 काना पुत्र काल्या।

4 छोटू पुत्र काल्या समस्त जाति गुर्जर निवासीगण ढ़ाणी भूतली वाली तन माणकसास तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व आदेश एवं डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी दिनांक 26.08.2002 उनवानी रघुवीर सिंह बनाम काल्या आदि मुकदमा नम्बर 200/2002 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री राजेन्द्र सिंह, अधिवक्ता अपीलांट

—निर्णय—

दिनांकः— 26/12/23

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 200/2002 में पारित निर्णय दिनांक 26.08.2002 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट ने भूमि खसरा नम्बर 1139 वाके ग्राम मणकसास के संदर्भ में स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस वकील अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट ने स्वयं की खातेदारी की भूमि के संदर्भ में स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया था। विचारण न्यायालय ने केवल मात्र यह अंकित करते हुए दावा खारिज कर दिया कि दावा किस धारा में प्रस्तुत किया गया है यह अंकन नहीं है। विचारण न्यायालय का यह निर्णय पूर्णतया विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट ने स्वयं की खातेदारी की भूमि के संदर्भ में स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया था। विचारण न्यायालय ने केवल मात्र यह अंकित करते हुए दावा खारिज कर दिया कि दावा किस धारा में प्रस्तुत किया

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
... अपील अधिकारी

गया है यह अंकन नहीं है। विचारण न्यायालय का यह निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में गुणावगुण पर उभयपक्ष को सुनकर आगामी दो माह में प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.01.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 26/12/23 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राम रतन सौंकरिया)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर